

1377
न्यायालय सपरिवर्तन अधिकारी, देवली, जिला - टोंक
(35)

मिश्र

(33) 2021

उन्वा

A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

निर्णय दिनांक :- 29/10/2021

उपरि

विषय सूची

बनाम तहसीलदार.....

on 15

तहसीलदार. दिव्या

136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

21 21

निवासी 21.12.51 ने प्रशासन गांवो
जमाबंदी निवेदन किया है कि वाके ग्राम 21.12.51
में दर्ज प्रार्थी का नाम 21.12.51
पर 21.12.51

पर गोपनीयता पर उपाय प्राप्त दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली कराई प्राप्त की जांच तहसीलदार डायरी से रिपोर्ट प्राप्त व भू0अ0नि0या0 डायरी की दुकुरत इन्द्राज करने की अभिशंका की।

गई। तब राम के चारत्त्विक नाम के सम्बंध में जानकारी ली
किया गया। यह नाम राम का ध्यानपूर्वक अवलोकन
प्रतीत होता है।

1956 की राजस्थान अधिनियम 1957 की धारा 369 का
स्वीकार (अनिलेख) नियम 1957 की धारा 369 का
4(1) राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक:-
जमाबंदी 327-24

55 दिवस को वाके ग्राम झारखण्ड
गोपाल लाल

प्रति तहसील
हो दाखिल

राजमेर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली